


# राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

## आज्ञा

क्रमांक:- रथा.(रा.न्या.से.)अवकाश / १९९३ / 2021 दिनांक : <sup>१०</sup> .09.2021

विधि एवं विधिक कार्य विभाग (न्याय) प्रकोष्ठ, जयपुर के आदेश क्रमांक प.11.(3) न्याय/2002, दिनांक 08.09.2005 सप्तित राजकीय सेवा नियम 1951 के नियम 91-ए के तहत राजस्थान न्यायिक रोवा के अधिकारीण को दिनांक 01.04.2000 से दो वर्षों के प्रत्येक ब्लाक में अधिकतम 30 दिवस के उपार्जित अवकाश का नकट भुगतान अनुङ्गीय किया गया है। अतः निम्न वर्णित अधिकारी को उनके आवेदनानुसार अधोलिखित तालिकानुसार उपार्जित अवकाश का नकट भुगतान रवीकृत किया जाता है। जिसकी प्रविष्टि सम्बन्धित अधिकारी की सेवा पुस्तिका में कर दी गई है।


क्र. सं.	नाम अधिकारी एवं पदनाम	समर्पित अवकाश के दिनों	ब्लॉक वर्ष	समर्पित अवकाश की दिनांक संख्या
१	श्रीमती सुषमा शर्मा (RJ0725), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उनियारा (टॉक)।	30	2020- 2022	01/09/2021


आज्ञा से,  
  
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण) <sup>09.09.2021</sup>

क्रमांक :- रथा.बी.२(4)/08/2013/५८२३ दिनांक : १० 09.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- जिला एवं रोशन न्यायाधीश, टॉक।
- श्रीमती सुषमा शर्मा (RJ0725), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उनियारा (टॉक)।

  
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण) <sup>09.09.2021</sup>

  
राजामाना <sup>R</sup>  
१०/९/२०२१ २०५